में आवंटित किया जायेगा । सितम्बर, 1994 के मास और उससे आगे लेवी चीनी का आवंटन आयातित चीनी और स्वदेशी चीनी का सम्मिश्रण होगा ।

(2) महाराष्ट्र और तमिलनाडु को छोड़कर सीधे आवंटी राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम बन्दरगाहों से निर्दिष्ट वितरण केन्द्रों तक आयातित लेवी चीनी के संचलन का प्रबंध करेगा ।

(3) महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा सभी सीधे आवंटी राज्यों को तुरन्त भारतीय खाद्य निगम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिये ताकि उन वितरण-केन्द्रों का निर्धारण किया जा सके जहां से भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य-नामितों को आयातित चीनी सुपुर्द की जायेगी । मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो रेल शीर्ष से लदे हुये रैकों में सुपुर्दगी लेना चाहते हैं, गंतव्य स्थानवार अपनी आवश्यकतायें भारतीय खाद्य निगम को सूचित करें ।

(4) महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मामले में, भारतीय खाद्य निगम उनके पक्ष में एक जहाज नामजद करेगा और राज्य सरकार, बन्दरगाह से ही राज्य में उपभोक्ता गन्तव्य स्थान तक चीनी के संचलन का प्रबंध करेगा ।

(5) सीधे आवंटी राज्यों के संबंध में, राज्य सरकार को आयातित चीनी की सुपुर्दगी भारतीय खाद्य निगम द्वारा 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर की जायेगी किन्तु इसमें से खाद्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यथा-स्वीकृत थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन घटाया जायेगा । ढलाई प्रभार, जहां अनुमेय होंगे, की प्रतिपूर्ति बिलों को प्रस्तुत करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाद में की जायेगी ।

(6) भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्यों के मामले में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपुर्दगी के संबंध में मौजूदा प्रणाली और भुगतान की कार्यविधि जारी रहेगी ।

Production and requirement of Suga r

582. SHRI RAMNATH KOVIND : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what was the sugar production in the country during 1993-94 and what is the estimated production for the year 1994-95 and the present production status;

(b) how much reserve store of sugar is estimated at the end of the year 1994;

(c) what is the estimated annual requirement of sugar for distribution through open market and through public distribution system;

(d) what are the estimated of sugar import for the year 1994-95 and the quantity for which supply order have been placed and how much supply received so far ;

(e) what are the details of the importing agencies and with whom the contract have been executed abroad;

(f) what was the import at the end of the year 1993-94 and what is the contract rate for these imports;

(g) whether the change in the rates have taken place because of leak in import requirement to the foreign suppliers; and

(h) if so, what action has been taken against the persons responsible ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The sugar production during the current 1993-94 sugar season (October to September) upto 22-6-1994 was 94.50 lakh tonnes (provisional). It is too early to give estimates of sugar production for the 1994-95 sugar season.

(b) The estimated carry over stocks of sugar at the end of the current 1993-94 sugar season, i.e. on 30-9-1994, would be around 12-13 lakh tonnes.

(c) Under the policy of partial control a quantity of 3.35 lakh tonnes of sugar is being released as levy sugar each month. Besides this, about 1 lakh tonnes of levy sugar is being allotted as festival quota annually. Freesale quota for the open market is decided with regard to production, stocks, requirement and availability of other sweeteners like gur and khandsari, price trends etc.

(d) It is not possible to indicate the total estimated quantity of sugar to be imported during 1994-95. However, as per available information a quantity of about 18.05 lakh tonnes of sugar has been contracted till 22-7-1994, out of which about 6.28 lakh tonnes has arrived in the country.

(e) Sugar is being imported by private parties as well as public sector agencies viz. STC and MMTC.

(f) There is no import rate fixed. However the average London Daily Price during March, 1994 was $.340.38 per tonne. Rates at which contracts have been made by private parties are not available.

(g) and (h) The average London Daily Price during February, 1994 was $.295.66 per tonne. From the beginning of the March, 1994 the London Daily Prices started increasing and reached a level of $.340 per tonne on 15th March, 1994 when the Government announced its decision to put import of sugar under Open General License. However, the sugar prices thereafter fluctuated within the range of $.338.50 to 357 per tonne during the remaining period of March, 1994. The average London Daily Price during the April, May and June, 1994 was $.328.92, 347.64 and 358.48 per tonne respectively. As regards leakage of information regarding imports by India, no such instance has come to the notice of this Ministry.

राज्यों का खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाना

583. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला, चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर राज्यों के खाद्यान्न-कोटे में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गुजरात के कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1943-94 के दौरान प्रत्येक राज्य के कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना कोटा आवंटित किया जायेगा ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, मौसमी उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं । पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय पूल के लिये चावल और गेहूं की वसूली देश में चावल और गेहूं के कुल उत्पादन का लगभग 13-18 प्रतिशत ही रही है । ये आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किये जाते है और ये केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं ।